न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 86/2017 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. श्रीमती राधादेवी पत्नि स्व0 श्री कोठारी जाति जाट निवासी ग्राम ढाकपुरी तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर ।

..... अपीलांट

बनाम

1. नेमीचन्द पुत्र चन्दर जाति जाट,
2. श्रीपाल पुत्र मनोहरी जाति जाट,
3. मुकेश पुत्र मनोहरी जाति जाट,
4. फूलसिंह पुत्र मनोहरी जाति जाट निवासीयान ग्राम ढाकपुरी तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर ।

..... रेस्पोडेन्टान

5. गणपत पुत्र सैया जाति जाट,
6. गंगाराम पुत्र हरसहाय जाति जाट,
7. हुकमचन्द पुत्र हरसहाय जाति जाट निवासीयान ग्राम ढाकपुरी तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर ।

..... तरतीबी रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री शेलेन्द्र भार्गव/श्री दीपक सिद्ध अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री तेजसिंह चौधरी, अभिभाषक असल रेस्पो0 सं0 4
3. श्री महेन्द्र कुमार अभिभाषक तर0 रेस्पो0 सं0 5, 6 व 7

::: निर्णय :::

दिनांक :–27.03.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अलवर के निर्णय दिनांक 25.10.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राज0 अभिधृति संशोधन अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम ढाकपुरी तहसील मालाखेड़ा के प्रार्थी सं0 1 व 2 ल0 4 के मृतक पिता मनोहरी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी ख0 नं0 838 रकबा 14 ऐयर, 839 रकबा 78 ऐयर, 843 रकबा 52 ऐयर, 844 रकबा 23 ऐयर भूमि स्थित है तथा प्रार्थी सं0 2 ल0 4 के पिता का स्वर्गवास हो चुका है जिनकी विरासत का इन्तकाल अभी तक दर्ज नहीं हुआ है तथा प्रार्थी सं0 2 ल0 4 स्व0 मनोहरी के जायज व कानूनी वारिसान पुत्र हैं । उक्त आराजी

पर प्रार्थीगण काबिज रहकर काश्तकारी करते चले आ रहे हैं तथा उक्त आराजी ख0 नं0 838, 839, 844 में अपने रिहायशी मकानात बना रखे हैं तथा प्रार्थीगण अपनी आराजी उक्त पर ही अपने कृषि यंत्र रखने के लिए तथा पशुधन रखने के लिए प्रार्थीगण ने कच्चा पक्का कुछ निर्माण भी कर रखा है । आराजी ख0 नं0 676 रकबा 40 ऐयर, 677 रकबा 60 ऐयर जो कि अप्रार्थी सं0 1 राधा के कब्जे काश्त खातेदारी की है तथा ख0 नं0 850 रकबा 1 ऐयर, 851 रकबा 71 ऐयर, 852 रकबा 38 ऐयर जो कि अप्रार्थी सं0 2 गणपत के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है एवं ख0 नं0 864 रकबा 1 ऐयर, 865 रकबा 62 ऐयर अप्रार्थी सं0 3 व 4 के कब्जे काश्त खातेदारी की समस्त आराजी ग्राम ढाकपुरी में स्थित है । अप्रार्थी सं0 1 के कब्जे काश्त की आराजी ख0 नं0 676 व 677 प्रार्थीगण की उक्त आराजी के ख0 नं0 838, 839, 843, 844 से बिल्कुल लगती हुई है अर्थात वादीगण व अप्रार्थी सं0 2 ल0 4 की आराजी ख0 नं0 852, 850, 851, 864 व 865 के तरफ पश्चिम में है जिधर प्रार्थीगण की आराजी में आने जाने का एकमात्र रास्ता है जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर आ जा रहा है तथा पश्चिम की मुख्य सड़क जो कि जमालपुर से ढाकपुरी की ओर जा रही है में उक्त रास्ता मिल रहा है । प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 2 ल0 4 की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी पर कृषि कार्य हेतु एवं अपने रिहायशी मकानों में आने जाने के लिए एवं कृषि यंत्र हल एवं पशुधन ले जाने के लिए वं तैयार फसल को मण्डी में ले जाने के लिए अन्य आराजी ख0 नं0 676, 677 में विद्यमान मार्ग के अलावा नहीं था न ही वर्तमान में है । इसके अलावा प्रार्थी की आराजीयात में आने जाने का कोई रास्ता नहीं है । ख0 नं0 676 व 677 व 850, 851, 852, 864, 865 में स्थित मार्ग ही प्रार्थीगण की आराजीयात पर जाने के लिए एकमात्र निकटतम एवं लघुतम रास्ता है । अप्रार्थीगण उक्त आरजी में से अरसे दराज से स्थित रास्ते से आने जाने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तथा प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आने जाने नहीं दे रही है । प्रार्थीगण के उक्त रास्ता आवागमन में रूकावट व मजाहमत करने की मंशा से वह रास्ते में कीकर पेड़ झाड़ बाड़ लगा देते हैं जिससे मौके पर झगड़ा होने की सम्भावना है । यदि उसने प्रार्थीगण को उक्त अरसे दराज से विद्यमान रास्ते से आवागमन नहीं करने दिया तो प्रार्थीगण को भारी नापूर्ति होने वाली क्षति होगी तथा प्रार्थीगण बर्बाद हो जायेगें जबकि प्रार्थीगण रास्ते की भूमि की बाबत प्रतिफल भी अदा करने को तैयार है । इसलिए अप्रार्थीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करने का निवेदन किया । प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया । अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों के विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनकर दिनांक 25.10.2017 को प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जिस निर्णय दि0 25.10.2017 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्धान अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गयी ।

अपीलांट अभिभाषक ने लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए मौखिक बहस की शुरूआत करते हुए अपील के तथ्यों को दोहराया और अधीनस्थ न्यायालय में पेश प्रार्थना पत्र के तथ्यों का हवाला देते हुए कहा कि न्यायालय के आदेश दिनांक 25.10.2017 के आदेश के खिलाफ अपील 251 ए. आर.टी.एक्ट की पेश की है । अपीलांट आराजी ख0 नं0 676 व 677 पर

काबिज है और रेकार्डेड खातेदार है व काबिज रहते हुए काश्त कर रही है और आज भी मौके पर काश्त करती चली आ रही है । आराजी ख0 नं0 838, 839, 843, 844, 850, 851, 852, 864, 865 ये सभी नम्बर रेस्पो0 के कुटुम्ब के हैं जिन पर सभी रेस्पो0 अपने परिवारसहित काश्त करते हैं व मकानात बनाकर रह रहे हैं । ख0 नं0 676 व 677 में से 10 फीट का रास्ता रेस्पो0 को दिया जावें यह तहत न्यायालय का आदेश है । दो दावे इस अपील में पहले 188 आर.टी.एक्ट राधा बनाम गणपत और नेमी बनाम राधा के नाम से दोनों पक्षों के दावे थे । दोनों दावे सहायक कलक्टर के यहां चले । हमारा दावा राधा बनाम गणपत दि0 19.5.2016 को डिक्री हुआ जिस डिक्री से प्रतिवादीगण पूर्ण रूपेण पाबन्द हैं । दूसरे दावा दिनांक 19.5.2016 को खारिज कर दिया गया जिस निर्णय की अपील माननीय न्यायालय में मैरिट पर सुनकर खारिज कर दी जो माननीय न्यायालय का निर्णय अंतिम निर्णय है । दिनांक 19.5.2016 का आदेश सहायक कलक्टर का हैं जिसमें रेस्पो0 का ये कहना है कि वह 676 व 677 में से रास्ता चाहता है क्यों देवें । मैं विधवा महिला हूं । अस्थाई निषेधाज्ञा के दो दावे 19.5.2016 में तनकी नं0 2 का अवलोकन कराया जिसमें उक्त रास्ते में कोई रास्ता प्रचलन में नहीं है । सड़क के सस्पर्शी ख0 नं0 836 जो कि वादीगण के कुटुम्ब व परिवार के लोगों की खातेदारी की आराजी है जिसमें से भी होकर वादीगण वगैरा व नेमी भी आ जा सकते हैं । अगर वादीगण को आवागमन का रास्ता चाहिए तो वह सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के यहां राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 251 क. में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें जिस पर सहायक कलक्टर अलवर की फाईडिंग स्पष्ट प्रमाणित है कि माननीय न्यायालय द्वारा वादीगण को आवागमन के रास्ते के बाबत सजेस्ट किया गया है जिससे भी स्पष्ट है कि ख0 नं0 676 व 677 में से पहले भी कोई आवश्यकता नहीं थी और आज भी कोई आवश्यकता नहीं है । वादीगण ने अपने कुटुम्ब का ख0 नं0 836 छोड़कर विधवा महिला जिसका ख0 नं0 676 व 677 है मे से रास्ता मांगने के लिए जबरन परेशान करने की गर्ज से व बुरी नियत से बराय रंजिश प्रतिवादनी के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 251 क. उपखण्ड अधिकारी अलवर के यहां प्रस्तुत किया जिस पर न्यायालय ने सुनकर दि0 25.10.2017 को अपना आदेश पारित करते हुए यह निर्णय दिया कि प्रार्थीगण नेमी, श्रीपाल, मुकेश, फूलसिंह इत्यादि अगर चाहे तो प्रतिवादनी श्रीमती राधा देवी, की आराजी ख0 नं0 676, 677 में से डी.एल.सी. दर के हिसाब से प्रतिवादनी को अदा कर आवागमन के लिए रास्ता ले सकते हैं । उक्त निर्णय विधि व तथ्यों के विपरीत है ।

बहस में आगे कहा कि रेस्पो0 ग्राम पंचायत ढाकपुरी में साजबाज होते हुए निम्न व्यक्ति रघुवीर, लिखमी, अमरसिंह इत्यादि के नाम से रेस्पो0 वगैरा ने कूटरचित व फर्जकारी हस्ताक्षर किये जबकि यह निम्न व्यक्ति मौके पर गये ही नहीं थे और रेस्पो0 द्वारा एक विधवा महिला के विरूद्ध ग्राम पंचायत से आवागमन के रास्ते का आदेश प्राप्त कर लिया जो आदेश रेस्पो0 के फर्जकारी का द्योतक है । विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि एब्सुलेट नेसेसिटी के आधार पर किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा अनुसार आवागमन का रास्ता नहीं दिया जा सकता है । ख0 नं0 676 व 677 के आसपास कोई भी रेकार्ड व नक्शें के मुताबिक आवागमन का रास्ता नहीं है । अपीलांटा के पास ख0 नं0 676 व 677 के अलावा अन्य कोई आराजी नहीं है जो अपीलांटा विधवा महिला एवं जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन है जिससे अपीलांट विधवा महिला अपना व अपने बच्चों का पालन पोषण करती चली आ रही है ।

अगर माननीय न्यायालय ने उक्त नम्बरान में से आवागमन का रास्ता रेस्पो0 को दे दिया तो अपीलांटा का नापूर्ति होने वाली क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी रूप में नहीं हो सकेगी । इसलिए अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया । मौजूदा अपील में रेस्पो0 ने एक नक्शा ब्लू प्रिन्ट पेश किया गया है जो रेस्पो0 द्वारा अपनी सुविधा व मनमर्जी से पेश किया जो ब्ल्यू प्रिन्ट नक्शा पब्लिक दस्तावेज की श्रेणी में नहीं आता है । उन्होंने अपने समर्थन में आर.आर.टी. 2016 पेज 649 व 798 प्रस्तुत की ।

जवाब बहस में अभिभाषक असल रेस्पो0 का कथन है कि अपीलांट की अपील सहायक कलक्टर के आदेश दिनांक 19.5.2016 के खिलाफ पेश हुई है । प्रशासन आपके द्वारा कैम्प कोर्ट में ग्राम ढाकपुरी में निर्णय हुआ है । दोनों पक्षकारों के दावे थे । कोर्ट की सहमति से दावा तय किया । हमारे दावे में तहत न्यायालय ने फाईडिंग दी कि 251 ए. में प्रार्थना पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करें । उपखण्ड अधिकारी ने तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मंगवाई । उपखण्ड अधिकारी ने उसी आधार पर कार्यवाही की । दि0 5.11.2015 को ग्राम पंचायत ढाकपुरी ने निर्णय पारित किया है, प्रस्ताव है तथा यही रास्ता माना है । मौका रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है । अतः नियमानुसार रास्ता मिला है । अपीलांट विधवा है तो उसका भाई साथ है । रास्ता डी.एल.सी. की दर पर तय हुआ है । राशि हम जमा कराने को तैयार हैं । इसलिए 251 ए. की मंशा के अनुसार तहत न्यायालय का निर्णय सही है । इस आदेश के खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी की जो खारिज हो चुकी है । अतः तहत न्यायालय का निर्णय सही है । अपीलांट की अपील खारिज योग्य है ।

तरतीबी अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि अपीलांट अभिभाषक की बहस में इन्होंने कुछ भी नहीं कहा केवल सहायक कलक्टर न्यायालय का हवाला दिया है । इन्होंने 251 के जवाब में कुछ नहीं कहा । नक्शा नीले का अवलोकन कराया । मेरे खेतों में जाने का सबसे छोटा रास्ता यही है । अपील में प्लीडिंग से बाहर नहीं जा सकते हैं । तहत न्यायालय के जवाब से रास्ता मिलना चाहिए । मेरे भी खेत है । इनकी निगरानी खारिज हुई है । हमारे पक्ष में निर्णय हुआ है । विधवा से जबरदस्ती रास्ता नहीं ले रहे हैं । खेतों में आने जाने को रास्ता चाहिए । राधा की खातेदारी से मात्र 2.17 ऐयर जमीन जा रही है । इससे क्या नुकसान हो रहा है । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय सही है । अपीलांट की अपील खारिज की जावें तथा तहत न्यायालय का आदेश यथावत रखने का निवेदन किया ।

जवाब उल जवाब में अभिभाषक अपीलांट का कहना है कि सहायक कलक्टर का आदेश विधि विरूद्ध है । धारा 188 आर.टी.एक्ट की अपील माननीय न्यायालय ने खारिज की है । नक्शा पब्लिक दस्तावेज नहीं है । खुद का नक्शा है । इनकी मनमर्जी नहीं चलेगी । मैं पूर्ण रूपेण इसी आराजी के दोनों खसरा नम्बर पर आश्रित हूं । जबरदस्ती रास्ता नहीं ले सकते हैं । पटवारी की अस्पष्ट रिपोर्ट पर 251–क. में आदेश विधि विरूद्ध है । इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । पेश कानूनी नजीरों का भी ससम्मान अवलोकन किया ।

तहत न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड तथा निर्णय का अवलोकन किया गया । ग्राम पंचायत के प्रस्ताव तथा पटवारी हल्का की रिपोर्टसहित अपीलांट द्वारा ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के विरूद्ध पेश शपथपत्रों का भी अवलोकन किया गया ।

तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया है । 251–क. राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार अपनी जोत में जाने हेतु रास्ते की सुविधा के लिए आवेदन उपखण्ड अधिकारी को दिया जायेगा । उपखण्ड अधिकारी द्वारा या तो स्वयं मौका निरीक्षण किया जायेगा या सक्षम स्तर का अधीनस्थ अधिकारी मौका निरीक्षण करेंगें तथा यह सुनिश्चित करेगें कि दिये जाने वाले रास्ता का उपयोग कृषि हेतु अधिक उपयोगी नहीं है । यह भी जांच करेंगें कि अन्य खातेदारों को बिना ज्यादा नुकसान के रास्ता उपलब्ध हो । आवेदनकर्ता का यह अधिकार नहीं होता कि वह अपनी चाहत के अनुसार ही रास्ता प्राप्त करें । यहां यह भी स्पष्ट है कि आवेदक को रास्ता देते समय अन्य वैकल्पिक रास्तों पर भी गौर किया जाता है जिनकी खातेदारी से रास्ता दिया जाता है, उनसे आपत्तियां मांगी जाती है । इस प्रकार की मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा तैयार करने हेतु पटवारी सक्षम स्तर का अधिकारी नहीं है । दिनांक 10.2.2015 एवं 12.8.2016 को जो मौका पर्चा बनाया गया है, वह भी पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है । इस मौके पर्चा में कोई वैकल्पि रास्ता या अन्य कोई पूर्व का रास्ता का हवाला भी नहीं है ।

अतः तहत न्यायालय के आदेश में 251–क. के प्रावधान तथा इस नियम की पालना के लिए बनाये गये टिनेन्सी नियमों के संशोधन के अनुरूप जांच रिपोर्ट तैयार नहीं है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर का निर्णय दि0 25.10.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर को इस निर्देश के साथ पुनः प्रतिप्रेषित किया जाता है कि 251–क. में रास्ते के प्रावधान के लिए सक्षम अधिकारी को मौके पर भिजवाकर उभयपक्षों को तलब कर सभी विकल्पों पर विचार करके पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27/3/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर